

**न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेंट अधिकारी**  
**(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)**

**पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या :- 03/2019 अपील सू.प्र.

**उनवान**

सज्जन कुमार पुत्र कन्हैयालाल बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं  
सोडानी निवासी पोस्ट बीगोद तहसील तहसीलदार माण्डलगढ  
माण्डलगढ

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005**

उपस्थित :- अपीलार्थी उपस्थित  
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

**निर्णय**


दिनांक : 27.02.2019

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार माण्डलगढ के विरुद्ध दिनांक 31.12.2018 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 41 एफ 424097 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 22.11.2018 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार माण्डलगढ को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22.11.2018 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 22.01.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा पत्रांक/564 दिनांक 21.02.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी को पत्रांक/377-78 दिनांक 30.01.2019 से कार्यालय के विशेष वाहक (तामिल कुनिन्दा) के साथ भेजी गयी किन्तु अपीलार्थी नहीं मिला। दिनांक 23.01.2019 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा अपीलार्थी को आवेदन पत्र में लिखे निवास के पते पर सूचना निःशुल्क प्रेषित की गयी। सब पोस्ट मास्टर माण्डलगढ द्वारा अपीलार्थी को सूचना डिलीवर करने की रसीद भी प्रस्तुत की गयी है।

अतएव अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना प्रेषित कर दिए जाने से अपील प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 27.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

  
(राजेन्द्र भट्ट)  
जिला कलक्टर एवं  
प्रथम अपीलेंट अधिकारी  
भीलवाड़ा